न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2016/00107

भैरूलाल आत्मज श्री भवाना जाति माली निवासी ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. मोती लाल (मृतक) पुत्र जगन्या जाति माली निवासी गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा जरिये कायममुकामान :–
   1/1. रामकन्या पुत्री मोती लाल पत्नी पन्नालाल जाति माली निवासी गुडली तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
   1/2. संजू पुत्री मोती लाल पत्नी पुरूषोत्तम जाति माली निवासी ग्राम देहित तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. शिवदयाल
3. रामदेव
4. गोरधन पिसरान जगन्या जाति माली निवासी गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. पार्वती बाई पुत्री जगन्या जाति माली निवासी गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रघुवीर सिंह राठौड, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री शम्भूदयाल विजय, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 21.09.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.03.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 एवं 92ए के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया । उक्त वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 202 रकबा 0.49 हैक्टर, खसरा नम्बर 210 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 242 रकबा 0.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 243 रकबा 0.36 हैक्टर कुल 04 किता की रकबा 1.56 हैक्टर भूमि वाके ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है । उक्त भूमि पर प्रार्थीगण बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे हैं । अप्रार्थी का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । अप्रार्थी ने आराजी खसरा नम्बर 225 से आगे बढकर अवैध रूप से प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 242 की भूमि जो कि खसरा नम्बर 210 कुए से लगी हुई है उसमें अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर निर्माण कार्य करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थी के विरूद्ध इस आशय की अस्थयी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे कि वे प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 242 की उत्तर साइड की खसरा नम्बर 210 के कुए से लगी कोने की भूमि पर अवैध व गैर कानूनी तरीके से न तो अनाधिकृत प्रवेश करे और न ही उक्त भूमि में बलपूर्वक कोई निर्माण कार्य करे और न ही प्रार्थीगण की खडी फसल को नुकसान पहुंचावे एवं प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे ।

4. अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 21.03.2016 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.03.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट अप्रार्थी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई साक्ष्य रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं थी कि अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट की आराजी खसरा नम्बर 242 के किसी भाग पर कब्जा कर रहा हो या उसके किसी भाग पर निर्माण कार्य करना चाह रहा हो । अधीनस्थ न्यायालय को आदेश पारित करने से पूर्व मौका रिपोर्ट तहसील से मंगवाना चाहिए था । अपीलान्ट अपने खाते की आराजी खसरा नम्बर 225 में अपनी सीमा में अपने मवेशियों की सुरक्षा हेतु बाउण्ड्रीबाल करवाना चाहता है जिसका उन्हें पूर्ण अधिकार है । अपीलान्ट अपने खाते की आराजी खसरा नम्बर 225 पर काबिज है और अपने खाते की भूमि में अपनी सीमा के अन्दर ही निर्माण कार्य करना चाहते हैं । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट के पक्ष में नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी रिकॉर्ड व मौका रिपोर्ट एवं पैमायश के

आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.03.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने में त्रुटि की है । अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने से पूर्व मौका रिपोर्ट मंगवायी जानी चाहिए थी जो नहीं मंगवायी गई है । अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट की किसी भी आराजी पर निर्माण नहीं कर रहा है वरन् अपने स्वयं की आराजी खसरा नम्बर 225 में अपनी सीमा में अपने मवेशियों की सुरक्षा देने के लिए बाउण्ड्री बाल बनवा रहे हैं जिसका उन्हें पूर्ण अधिकार है । वाउण्ड्रीबाल का निर्माण भी हो चुका है । रेस्पोडेन्ट वादी सीमाज्ञान करवा सकते हैं । अपीलान्ट अपने खसरा नम्बर 225 पर काबिज है जिसके उपयोग एवं उपभोग करने का उन्हें पूर्ण अधिकार है । प्रथमदृष्टया प्रकरण रेस्पोडेन्ट के पक्ष में नहीं था फिर भी अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है । रेस्पोडेन्ट इस अस्थायी निषेधाज्ञा की आड में अपीलान्ट के खसरा नम्बर 225 में हस्तक्षेप करने पर आमादा हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.03.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि खसरा नम्बर 225 के 09 सहखातेदार हैं इसमें अपीलान्ट का 1/9 हिस्सा ही है । जो सहमति पत्र पेश किया है वो विधिक नहीं है । आराजी खसरा नम्बर 224, 227, 228 नगर विकास न्यास की आराजी है जिस पर अवैध कब्जा अपीलान्ट ने कर रखा है । अपीलान्ट के खिलाफ 107, 151 की कार्यवाही भी की गई है । रेस्पोडेन्ट को उनके खाते की आराजी पर स्थगन आदेश जारी किया गया है जो विधिक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.03.2016 बहाल रखा जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपील में फर्द के साथ कुछ दस्तावेज पेश किये हैं । उक्त दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी ग्राम गिरधरपुरा संवत् 2070–73, नकल इस्तगासा अन्तर्गत धारा 107, 116 सीआरपीसी, नकल प्रार्थना पत्र सचिव नगर विकास न्यास एवं नकल प्रार्थना पत्र थाना अधिकारी कुन्हाडी संलग्न हैं ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण ने धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा पेश किया जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया है । प्रार्थना पत्र के साथ फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 नया खाता संख्या 76 संलग्न है जिसमें वादीगण वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार दर्ज हैं । नक्शा

ट्रेस की फोटो प्रति पत्रावली पर संलग्न है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 नया खाता संख्या 54 जिसमें अन्य खसरा नम्बरान के अलावा खसरा नम्बर 225 रकबा 0.13 हैक्टर रेस्पोडेन्ट एवं अन्य सहखातेदारों के संयुक्त खाते में दर्ज है । इसके अलावा एक अपंजीकृत सहमति पत्र की फोटो प्रति भी पत्रावली पर संलग्न है ।

12. वादी रेस्पोडेन्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने खाते में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 242 की उत्तरी साईड की खसरा नम्बर 210 कुए से लगी भूमि के बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना की है और अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नम्बर 242 की उत्तर साईड की खसरा नम्बर 210 की कुए की भूमि के बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है । यह आराजी रेस्पोडेन्ट वादीगण के खाते में दर्ज है । अपीलान्ट एवं अन्य सहखातेदारों के खाते में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 225 के बाबत् कोई अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई है । रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 242 एवं 210 के सहखातेदार हैं । तद्नुसार प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति उनके पक्ष में ही है । अपीलान्ट के सहखाते में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 225 के बाबत् कोई अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई है । अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने दौराने बहस कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 225 पर वो वाउण्ड्रीबाल का निर्माण करना चाहते हैं और वो वाउण्ड्रीबाल का निर्माण कर चुके हैं । अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कोई काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण के खाते में दर्ज आराजी के बाबत् जो अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है उसमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.03.2016 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 21.09.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21.9.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा